राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–21/2019
पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीः–सज्जनसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–
1. सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।
2. किशनाराम पुत्र बाबूराम जाति सुनार निवासी ग्राम चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
3. मोहनलाल पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाना का बास तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

उपस्थितिः–
1. श्री दिनेशकुमार मदेरणा वकील प्रार्थी
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या दो व तीन के विरूद्ध एक पक्षीय।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसील तिंवरी के राजस्व ग्राम चैराई के खसरा नम्बर 2911/2 रकबा 23.07 बीघा भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को प्रार्थी द्वारा में 1/4 हिस्से की भूमि जिसमें 05.15 बीघा भूमि को सहखातेदार सीताराम पुत्र अलसीराम से खरीद की थी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। उक्त खसरान की भूमि की चालू जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि की चालू जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त खसरा की भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए 01.05 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 25.05.2016 को विक्रय की थी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3359 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 कानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया जो स्पष्ट रूप से अंकित है। उक्त नामान्तरकरण की एन्ट्री राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में कर दी थी, तथा अप्रार्थीगण के नाम के आगे कोष्टक में खरीद सुदा भूमि 01.05 बीघा दर्ज कर दी गई थी, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से साबित है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा कोई बेचाननामा नही किया गया था, लेकिन बावजूद इसके राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3359 की एन्ट्री पुनः राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे कर दी गई। उक्त एन्ट्री पुन करने का राजस्व कर्मचारियों को किसी हभी सक्षम अधिकारी के आदेश नहीं होते हुए भी पुन दर्ज करने का कोई अधिकार था। उक्त एन्ट्री सहवन से [illegible] में दर्ज कर दी गई है जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश दर्ज की है। [illegible] की जानकारी प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 2911/1 की जमा[illegible] 2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible]

Scanned by CamScanner

प्राप्त की तब हुई तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों को भी कहा लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी पुनः दुबारा की गई एन्ट्री को हटवाने का अधिकारी है इसलिये यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के हमरा पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 01 के कर्मचारियों के द्वारा सहवन से नामान्तरकरण संख्या 3359 की एन्ट्री दुबारा की गयी है जबकि दुबारा कोई दस्तावेज उक्त भूमि के संबध में प्रार्थी द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, इस कारण उक्त द्वितीय एन्ट्री अवैधानिक है। अतः ग्राम चैराई के खसरा नम्बर 2911/2 रकबा 23.07 बीघा भूमि में नामान्तरकरण संख्या 3359 की पालना में दुबारा की गयी लाल स्याही की एन्ट्री को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, तिंवरी ने अपने जवाब में बताया किग्राम चैराई के खसरा नम्बर 2911/2 रकबा 23.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय खातेदार मोहनलाल पि अलसीराम 1/2 सीताराम पि. अलसीराम जाति सुनार सज्जनसिंह पि. खुमाासिंह जाति राजपूत विशनाराम पि. बाबुराम जाति सोनार मोहनलाल पित्र चीमाराम जाति जाट 1/2जमाबंदी 2073 से 2076 में दर्ज है तथा प्रार्थी सजनसिंह पुत्र खुमाणसिंह अपने हिस्से में 1.05 बीघा भूमि बेचान किया जिसका नामान्तरकरण 3359 दिनांक 10.06.2016 को स्वीकृत हुआ। विशनाराम पित्र बाबुराम जाति सोनार मोहनलाल पि. चीमाराम जाति जाट सा. बाना का बास (1.05) राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 मे दायर किया गया तथा पटवारी द्वारा भूलवश जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 में लाल स्याही से दुबारानोट लगा दिया गया जो गलत है। अतः जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में लाल स्याही एन्ट्री को शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराया गया तथा अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रेकर्ड शुद्धिकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा तहसीलदार, तिंवरी के द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिला है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, अतः ग्राम चैराई के खसरा नम्बर 2911/2 रकबा 23.07 बीघा भूमि में नामान्तरकरण संख्या 3359 में दुबारा की गयी लाल स्याही की एन्ट्री को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार, तिंवरी को आदेश दिया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना की जाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्धिकरण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner